

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर



Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक-
सेवा में,

2885 / 23 एल0ए0

दिनांक- 28-12-2024

प्रभागीय वनाधिकारी
ब्रदीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग के मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे. वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ-
महोदय,

भारत सरकार के पत्र संख्या 08/यू0सी0पी0/06/136/2016/एफ0सी0/1337 दिनांक 2.09.2020।

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय एकीकृति क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून 25 सुभाष रोड देहरादून का पत्रांक 08 बी/यू0सी0पी0/06/136/2016/एफ0सी0/1337 दिनांक 02.09.2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुयी हैं सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत प्रषित है:-


| बिन्दु सं. | शर्त का विवरण | अनुपालन आख्या |
|------------|---|---|
| 1 | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। | भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में स्वीकृति वन भूमि में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नही किया जायेगा। |
| 2 | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सोंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी। | शर्त मान्य है। |
| 3 | प्रतिपूरक वनीकरण: (क) वन विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1660 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा। एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि/सी0ए0 Rate for 1-660 he area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहाँ तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लानटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए। (ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 ईल वृक्षारोपण क्षेत्र में प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्लू 10एम0पी0 क्षेत्र को परियोजना के लिए कार्यअनुमति री करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। | शर्त संख्या 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रिक्त पड़े स्थानों पर 1660 पौधों का रोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु रू. 615697.00(छ: लाख पन्द्रह हजार छ: सौ सत्तानब्बे) की धनराशि आर0टी0ज0एस0एस0बी0आई0 422059824750 दिनांक 28 फरवरी 2022 द्वारा वन विभाग के पक्षमें जमा की जा चुकी है। जिलाधिकारी चमोली के आदेश संख्या 1180/26-4(2024-25) द्वार वन विभाग के नाम काणा 1.660 हे. सिविल भूमि का नामान्तरण/हस्तान्तरण किया जा चुका है। अमलदरामद एवं चालान की प्रति सलग्न है। (। सै 3) |

| | | |
|---|--|--|
| 4 | <p>प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि, आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन स्तंभन की लागत परयोजना प्राधिकारण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।</p> | <p>शर्त मान्य है।</p> |
| 5 | <p>शुद्ध वर्तमान मूल्य:</p> <p>(क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002 01.08.2003, 28.03.2008 24.08.2008 एवं 09.05.2006 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt) दिनांक 30.10.2023 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.713 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p> <p>(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।</p> | <p>(क) शर्त संख्या 05 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वर्तमान मूल्य 602485.00 (छः लाख दो हजार चार सौ धनराशि पिचासी) की आर.टी.जी.एस.एस.बी.एन.-422059824750 दिनांक 28.02.2022 वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है।</p> <p>(ख) वन भूमि के शुद्ध एन0पी0वी0 वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हों जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो के राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रमाण पत्र संलग्न। (8-9)</p> |
| 6 | <p>प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 34 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ों राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।</p> | <p>बिन्दु संख्या 6 के अनुपालन में दिये गये दिशा निर्देशों पर कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा (प्रमाण पत्र (9-10))</p> |
| 7 | <p>State govt will subimait the village level committee proceedings of gadora village in compliance of Fra</p> | <p>प्रमाण पत्र संलग्न है। (10-11)</p> |
| 8 | <p>State govt will inforun to thes office</p> | <p>शर्त मान्य है।</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stege ii approval as per guidelines para 11.2 the state govat will stricy monitor and ensure thet no furrher activity is carried out under such permission after te expiry of one year the date of such permisson | |
| 9 | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे। | प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि आर0टी0जी0एस0टी0 द्वारा ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे। |
| 10 | एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्ट्रेट से निर्धारित पमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। | शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र सलंग्न है। (11-19) |
| 11 | सुरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे। | वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गतिविनियमन लगाये जायेगा। |
| 12 | प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा। | शर्त मान्य है। |
| 13 | केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लाट नहीं बदला जाएगा। | भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लाट नहीं बदला जाएगा। |
| 14 | वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। | वनभूमि में निर्माण कार्य के दौरान कोई भी श्रमिक शिविर का निर्माण नहीं किया जायेगा। |
| 15 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। | सड़क निर्माण के दौरान मजदूरों को वैकल्पिक ईंधन जैसा कोरोसीन आदि की व्यवस्था की जायेगी। जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचा जा सकें। (15-14) |
| 16 | संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यवर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। | शर्त मान्य है। (प्रमाण पत्र सलंग्न) (19-20) |

| | | |
|----|---|---|
| 17 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्रों के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। | निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर अतिरिक्त कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाया जायेगा। (प्रमाण पत्र सलंगन है) (20-21) |
| 18 | इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा। | शर्त मान्य है। |
| 19 | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा। | शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र सलंगन है। (21-22) |
| 20 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेन्सीयों विभाग अथवा व्यक्ति हस्तातन्त्रित नहीं की जायेगी। | भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य एजेन्सी विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करेगी। (प्रमाण पत्र सलंगन है) (22-23) |
| 21 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही होगी। | शर्त मान्य है। |
| 22 | पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी। | शर्त मान्य है। |
| 23 | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविद्विष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवा निस्तारण हेतु चयनित स्थलों पर मक डिस्पोजल प्लान तैयार कर उसमें उत्सर्जित किया जायेगा। (प्रमाण पत्र सलंगन है) (23-24) |
| 24 | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य | शर्त मान्य है। |

| | | |
|----|---|----------------|
| | सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी। | |
| 25 | अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल है। (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी। | शर्त मान्य है। |


28.12.2024
अधिशायसी अभियन्ता,
प्रा.खण्ड लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता (प्रथम), प्रा. खण्ड लो.नि.वि., गोपेश्वर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण में वन विभाग से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- वनभूमि सहायक/ खण्डीय अमीन प्रा0ख0लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशायसी अभियन्ता,
प्रा.खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

!! आदेश !!

क्रम सं० ५६९३
पत्रावली सं० २३६६
दिनांक २१-११-२०२४

जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित ल्वाँ-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.७१३ हेक्टेयर वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित ०१.६६ हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतएव उप महा निरीक्षक, वन (के०) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या-०८ बी/यू०सी०पी०/०६/१३८/२०१६/एफ०सी०/१३१७ दिनांक २२.०९.२०२० में प्राविधानित शर्तों के अनुसार उप जिलाधिकारी चमोली के पत्र संख्या-४४/२०का-क्षति०वृक्षा/भूमि अम०/२०२४ दिनांक ०६.११.२०२४ के अनुक्रम में जनपद चमोली के अन्तर्गत ल्वाँ-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.७१३ हेक्टेयर वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए ग्राम कौंज पोथनी, पटवारी क्षेत्र छिनका, तहसील चमोली, जनपद चमोली की नॉन जेड० ए० खतौनी खाता संख्या-२२, खसरा संख्या-२२४७ रकवा ०.७५३ एवं खसरा संख्या-२२४८ रकवा ०.९२८ हेक्टेयर मध्ये ०.९०७ कुल रकवा ०१.६६० हेक्टेयर श्रेणी-०९ (०३) (ड़) "अन्य कृषि योग्य बँजर भूमि" को प्रमुख सचिव राजस्व, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-२१७३/XVIII(II)/२०१२-१८ (१२०)/२०१० दिनांक १७.१२.२०१२ के आलोक में वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्थान: गोपेश्वर,

दिनांक: नवम्बर २०२४,

(डा० संदीप तिवारी)
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली

संख्या- ११८०/छब्बीस-५ (२०२३-२०२४) दिनांक: गोपेश्वर: १६ नवम्बर २०२४
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- ०१- अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।
- ०२- सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- ०३- सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-०४, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- ०४- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड देहरादून।
- ०५- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- ०६- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार चमोली
- ०७- प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ/केदारनाथ/अलकन्दा वन प्रभाग गोपेश्वर।
- ०८- प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।
- ०९- सहायक भूलेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
- १०- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि० गोपेश्वर।
- ११- कार्यालय प्रति।

P. C. Alliesteel

21/11/2024

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

21/11/2024

जिलाधिकारी,
चमोली।

ग्राम कौज पोखरी रा. उ. नि. क्षे. दिनका तहसील व जिला पकोली

| | | | |
|-----------------------|------|-------|-------|
| | 1266 | 0.013 | |
| | 1232 | 0.008 | |
| | 1200 | 0.005 | |
| | योग | 12 | 0.251 |
| शेती प. (क) (ख) : ... | | | |
| 22 | 18 | 0.015 | 25 |
| | 35 | 0.008 | |
| | 128 | 0.056 | |
| | 149 | 0.006 | |
| | 184 | 0.019 | |
| | 191 | 0.018 | |
| | 199 | 0.005 | |

| | | | |
|--|------|-------|--|
| | 200 | 0.025 | |
| | 257 | 0.014 | |
| | 261 | 0.053 | |
| | 400 | 0.154 | |
| | 412 | 0.130 | |
| | 417 | 0.150 | |
| | 437 | 0.136 | |
| | 446 | 0.023 | |
| | 483 | 0.010 | |
| | 485 | 0.021 | |
| | 490 | 0.054 | |
| | 500 | 0.013 | |
| | 525 | 0.010 | |
| | 532 | 0.030 | |
| | 581 | 0.025 | |
| | 583 | 0.020 | |
| | 621 | 0.081 | |
| | 654 | 0.225 | |
| | 715 | 0.204 | |
| | 727 | 0.016 | |
| | 757 | 0.013 | |
| | 846 | 0.019 | |
| | 910 | 0.000 | |
| | 992 | 0.163 | |
| | 1004 | 0.180 | |
| | 1012 | 0.240 | |
| | 1117 | 0.071 | |
| | 1120 | 0.023 | |

राज्य ...
 क्षेत्र ...
 तहसील ...

कर्म नं १० को ११

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----|---|------|-------|---|---|
| | नगर | | 1257 | 0.021 | | |
| | | | 1276 | 0.107 | | |
| | | | 1404 | 0.043 | | |
| | | | 1407 | 0.023 | | |
| | | | 1410 | 0.029 | | |
| | | | 1440 | 0.021 | | |
| | | | 1461 | 0.006 | | |
| | | | 1402 | 0.078 | | |
| | | | 1405 | 0.069 | | |
| | | | 1501 | 0.013 | | |
| | | | 1512 | 0.270 | | |
| | | | 1523 | 0.180 | | |
| | | | 1575 | 0.075 | | |
| | | | 1576 | 0.075 | | |
| | | | 1630 | 0.058 | | |
| | | | 1836 | 0.028 | | |
| | | | 1839 | 0.320 | | |
| | | | 1852 | 0.120 | | |
| | | | 1864 | 0.070 | | |
| | | | 1872 | 0.009 | | |
| | | | 1890 | 0.075 | | |
| | | | 1891 | 0.004 | | |
| | | | 1892 | 0.006 | | |
| | | | 1893 | 0.076 | | |
| | | | 1894 | 0.008 | | |
| | | | 1895 | 0.001 | | |
| | | | 1896 | 0.006 | | |
| | | | 1898 | 0.053 | | |
| | | | 1947 | 0.176 | | |

राजस्थान सरकार
 क्षेत्र
 नदरील क. यंत्रालय

(Signature)

1895 0.001

1896 0.006

1898 0.053

1897 0.176

1959 0.025

1961 0.068

1962 0.058

1997 0.53

2007 0.015

2011 0.173

2020 0.043

2033 0.155

2068 0.091

2107 7.000

2126 0.108

2135 0.020

2145 0.016

2147 0.023

2148 0.036

2149 0.024

2156 0.011

2166 0.043

2169 0.045

2179 0.046

2187 0.010

2194 0.010

2212 0.045

2238 0.155

2239 0.158

2240 0.600


2241 0.044

2244 0.013

2247 0.153

19

मु. डा. रज्जा - 1130 लिस्स - 4 (2020-2021) लिस्स: केस्यर 16 नवम्बर 2021
 भारत सरकार परामर्श, पत संघ काठमाण्डू, फर्निचर अड्डा, फ्लोर कार्यालय केस्यर
 ने, पत्र संख्या - 88/17 मु.सी.सी. नं. 1138/2008/1 संकट सी. नं. 137 लिस्स
 21.09.2008 जनपद चिम्ली संततीत छ - चिम्ली जेठ गाम के गेहनाद
 तक शोक मार्ग के निर्माण हेतु कांठ हेतु पर पत्र सं. के संकेत दिखिन्छ पत्र सं. पर
 काम के निर्माणमा खाता खाता संख्या - 22 खाता संख्या 2247 रज्जा 0.753 सं
 खाता संख्या - 2248 रज्जा 0.928 हेतु पर मं. सं. 0.908 मु. रज्जा 1.660
 हेतु सिद्धि सौजन्य भुक्ति पत्र विभाग के नाम नामान्तरण दिखिन्छ
 छिमे जान पर अमृतदरामद छिया,


 45
 लिस्स


राजस्व उप वि. शिक्षक
 क्षेत्र चिम्ली
 तहसील चिम्ली

संख्या: 1130/लिस्स-4/2020-2021/1138/2008/1 संकट सी. नं. 137 लिस्स

स. ७०

16.01 कसली

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|------|-------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | 2248 | 0-728 | | | | | | | | | | |
| | 2267 | 0-090 | | | | | | | | | | |
| | 2273 | 0-016 | | | | | | | | | | |
| | 2282 | 0-208 | | | | | | | | | | |
| | 2308 | 0-230 | | | | | | | | | | 5 |
| | 2332 | 0-060 | | | | | | | | | | |
| | 2360 | 0-016 | | | | | | | | | | |
| | 2341 | 0-034 | | | | | | | | | | |
| | 2342 | 0-018 | | | | | | | | | | |
| | 2343 | 0-030 | | | | | | | | | | 10 |
| | 2344 | 0-010 | | | | | | | | | | |
| | 2309 | 0-053 | | | | | | | | | | |
| | 2392 | 0-571 | | | | | | | | | | |
| | 2402 | 0-034 | | | | | | | | | | |
| | 2416 | 0-010 | | | | | | | | | | |
| | 2490 | 0-055 | | | | | | | | | | |
| | 2497 | 0-320 | | | | | | | | | | |
| | 2565 | 0-005 | | | | | | | | | | |
| | 2578 | 0-018 | | | | | | | | | | |
| | 2614 | 0-206 | | | | | | | | | | |
| | 2627 | 0-044 | | | | | | | | | | |
| | 2635 | 0-015 | | | | | | | | | | |
| | 2644 | 0-191 | | | | | | | | | | |
| | 2651 | 0-015 | | | | | | | | | | |
| | 2654 | 0-009 | | | | | | | | | | |
| | 2717 | 0-513 | | | | | | | | | | |
| | 2718 | 0-155 | | | | | | | | | | |
| | 2753 | 0-029 | | | | | | | | | | |


 राजस 33/10 12.क
 क्षेत्र जिलाका
 तहसील यमखी

9

| | | | |
|------|--------|-------|----|
| 2756 | 0.090 | | |
| 2784 | 0.093 | | |
| 2787 | 0.158 | | |
| 2798 | 0.031 | | 35 |
| 2799 | 0.048 | | |
| 2848 | 0.053 | | |
| 2849 | 0.110 | | |
| 2854 | 0.0561 | | |
| 2855 | 0.074 | | 40 |
| 2913 | 0.073 | | |
| 2915 | 0.090 | | |
| 2956 | 0.030 | | |
| 3119 | 0.073 | | |
| 3140 | 0.060 | | 45 |
| 3245 | 0.230 | | |
| 3251 | 0.000 | | |
| 3253 | 0.140 | | |
| 3263 | 0.178 | | |
| 3265 | 0.071 | | 50 |
| 3267 | 0.0540 | | |
| 3269 | 0.010 | | |
| 3272 | 0.070 | | |
| 3274 | 0.035 | | |
| 3276 | 0.023 | | |
| 3279 | 0.005 | | |
| 3283 | 0.071 | | |
| 3293 | 0.070 | | |
| मोग | 151 | 29.22 | |

पी० सं० सं०. १९५५-५६. ३३-५. २५०७,०००००

राजस्व स. क.
 क्षेत्र जिला
 तहसील टांगोली

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no-01372-252175

पत्रांक

119

/12-1

, गोपेश्वर,

दिनांक

08/07

2021।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.713 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/138/2016/एफ०सी०/1317 दिनांक 22.09.2020.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त मोटर मार्ग के सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार पूर्व में इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र प्रेषित की गयी, जिसके क्रम में आपकी पत्र सं० 1136/24 एल०ए० दिनांक 28.06.2021 से वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनः मांग पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है, के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2021-22 में संशोधित दरों के अनुसार मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

- 1- शर्त सं० 01 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रिक्त पड़े स्थानों पर 1660 पौधों का रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु देय धनराशि / Ca rate of 1.66 है० area में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं० 1459/3-5-2 पी०ओ० दिनांक 01.07.2021 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये निर्धारित दर रू० 3,70,902.00 के अनुसार $1.66 \text{ ha} \times 3,70,902.00 = 6,15,697.32$ या देय धनराशि रू० 6,15,697.00 मात्र जमा की जानी है।
2. शर्त सं० 02 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार देय 0.713 है० दर 8,45,000.00= रू० 6,02,485.00 जमा की जानी है।

अतः उक्त मांग पत्र को ऑन लाईन अपलोड करते हुए नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन होने पर ऑनलाईन चालान से ही धनराशि Ad-hoc कैम्पा में जमा करने के पश्चात् सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सके।

LAC
Bt/BG

भवदीय,
(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।


पत्रांक

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-02-2022

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Agency Name. | PUBLIC WORK DEPARTMENT |
| Application No. | 6115018704 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/138/2016/FC |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Address. | PROVINCIAL DIVISION Chamoli |
| Amount(in Rs) | 1218182/- |

Amount in Words :Twelve Lakh Eighteen Thousand One Hundred and Eighty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

| | |
|----------------------|--|
| Beneficiary Name: | UTTARANCHAL CAMPA |
| IFSC Code: | UBIN0903710 |
| Pay to Account No. | 150896115018704 Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies mail
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through che
even after 7 working days, then kindly mail a copy of
Email: cb0371@unionbankofindia.com

D.C. Admitted

[Signature]
28/02/2022
ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

[Signature]
Executive Engineer
Provincial Division P.W.D.
Gopeshwar

20 FEB 2022
Shar

श
क
व
=

ल
रि
र
स
स
प
प
उ
क

8

कायालय जायरासा
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

दिनांक-गोपेश्वर 28/02/2022

पत्रांक - केस/अमी
सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक,
गोपेश्वर।


विषय :-

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों पर एन.पी.वी., क्षतिपूरक वृक्षारोपण आदि की धनराशि को वन विभाग के पक्ष में जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि इस खण्ड के अधीन मा. मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत ल्वां- दिगोली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के सापेक्ष चैक सं. 406095 दि. 04.02.2022 - रु. 1218182.00 मूल में इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, कि संलग्न चैक का उत्तरांचल कैम्पा, खाता सं. 150896115018704, IFSC No- UBIN0903710 के पक्ष में NEFT/RTGS द्वारा भुगतान करने का कष्ट करें। ताकि निर्माण सम्बन्धी अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्न - चैक मूल में 1 नं.



(इं. प्रवीण बहुखण्डी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रां.खं. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

D.C. Khatiwada


Assistant Engineer
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPIESHWAR


एन.पी.वी. प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

जनपद चमोली में ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 है० वन भूमि की स्वीकृति मिलने पर एन.पी.वी. की धनराशि यदि मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बढी हुई एन.पी.वी. धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।


 ASSISTANT ENGINEER
 PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
 GOPESHWAR


 अधिशासी अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
 गपेश्वर


 अधिशासी अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
 गपेश्वर।

भूगर्भवेत्ता द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन सम्बन्धित प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण के दौरान भूगर्भवेत्ता द्वारा अपने निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

G. P. Shrivastava
 ASSISTANT ENGINEER
 PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
 GOPESHWAR

G. P. Shrivastava
 अधिशासी अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
 गोपेश्वर।

G. P. Shrivastava
 अधिशासी अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
 गोपेश्वर।

~~सहमति प्रमाण पत्र~~

सहमति प्रमाण पत्र - ग्राम पंचायत गडोरा

- 1 श्री शम्भुप्रसाद सती जी - ~~सती~~
- 2 " सच्चिदानंद जी हटवाण - ~~हटवाण~~
- 3 " गुरुपोत्तम इत सती - ~~इत सती~~
- 4 " लोकानंद हटवाण - ~~हटवाण~~
- 5 " नवीन भट्टियाण - ~~भट्टियाण~~
- 6 " कैलाश सती - ~~सती~~
- 7 " लक्ष्मी इत देवली - ~~देवली~~
- 8 " बालकृष्ण सती - ~~सती~~
- 9 " कृष्ण मुरारी - ~~मुरारी~~
- 10 " योगधरसिंह - ~~सिंह~~
- 11 " विजय हटवाण - ~~हटवाण~~
- 12 " ललित सती - ~~सती~~
- 13 श्रीमती सुशीला देवी - ~~देवी~~
- 14 " तिलोत्तमा देवी - ~~देवी~~
- 15 " गुडडी देवी - ~~देवी~~
- 16 " गीता देवी - ~~देवी~~



(Handwritten signatures and marks)



सुनील को
सदस्य क्षेत्र पंचायत
बाहुला (दशोली) मो.

- अनीता देवी
- प्रेमा देवी
- देवकी देवी
- सुरशीला देवी
- ऊषा देवी
- ललिता देवी
- गुडडी देवी
- राजेश्वरी देवी
- मनोरमा
- विजया देवी
- नीना देवी
- उमर देवी

- रमा देवी
- उडडी 3 मिथाल
- शान्ता देवी
- विनीता देवी
- जीवन्ती देवी
- सखी देवी
- मंजु देवी
- धने श्वरी



Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :- 04-10-2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRa, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.713 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of MaherGaon motor road from Luhwa-Degoli motor road, Under State Sector at Dasoli Block in District- Chamoli. 1.50 Km Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

| SN | | Remark |
|-----|---|--|
| (A) | The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.713 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure. | There are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. |
| (B) | The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it. | There are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file. |
| (C) | The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities. | There are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. |

Signature
4/10/17
(District Magistrate Chamoli)
जिलाधिकारी
चमोली

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate. Chamoli on dated 04-10-2017 at time 17:00hrs at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 0.713 hect for the construction of Construction of MaherGaon motor road from Luhwa-Degoli motor road, Under State Sector at Dasoli Block in District- Chamoli. 1.50 Km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 04-10-2017


District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee Chamoli
जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत रा.ड.का. गडौरा से महरगाव (बमेठी) मोटर मार्ग निर्माण हेतु कृ.नि.हस्तान्तरण।
कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत जन्म-उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली
जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली

में रा.ड.का. गडौरा से महरगाव बमेठी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 16/01/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| 1- श्री <u>अक्येश कुमार सिंह</u> | उपजिलाधिकारी (सदर) | <u>A.K. Singh</u> अध्यक्ष |
| 2- श्री <u>स. सु. सुभा</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री <u>म. ग. खन्डा</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव | |
| 4- श्री <u>सुनील कोठियाल-बादुलावाँडे</u> | बी.डी.सी. क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत ग्राम महरगाव बमेठी ग्राम जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत रा.ड.का. गडौरा से महरगाव (बमेठी) तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशांसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

A.K. Singh
उपजिलाधिकारी
अध्यक्ष

S. S. Suba
उप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य

M. G. Khanda
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव

Sunil Kothiyal
बी.डी.सी. क्षेत्र
सदस्य
16/01/15
पं० सुनील कोठियाल
सदर क्षेत्र अन्तर्गत
बादुला (दशोली) चमोली

Sunil Kothiyal
प्रभागीय वनाधिकारी
वसुधैव कुटुम्बकम्
गोपेश्वर (चमोली)

परियोजना का नाम :

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशौली में ग्रा.पं. लवाह महरगोव अन्तर्गत रा.ड.का. 0.213 हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 0.213 हे० सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 0.213 हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर प्रधान



प्रपत्र -23.1
दि. 16/11/15 को ग्राम सभा लवाह / गजिरा की बैठक सम्पन्न हुई
बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

| क्र.सं. | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | ग्राम | हस्ताक्षर |
|---------|--|-------|--------------------------|
| 1 | निजेन्द्र लाल | लवाह | निजेन्द्र लाल |
| 2 | हरीश लाल | - | हरीश लाल |
| 3 | अनमोल लाल | - | अनमोल लाल |
| 4 | सुनील कोठियाल प्रे. फ. सदस्य बाहुना | - | सुनील कोठियाल |
| 5 | रुकमड़ी देवी | - | रुकमड़ी देवी |
| 6 | लक्ष्मण लाल | - | लक्ष्मण लाल |
| 7 | जयदीप लाल | - | जयदीप लाल |
| 8 | गुडडी देवी | - | गुडडी देवी |
| 9 | दादानी देवी | - | दादानी देवी |
| 10 | धनश्याम लाल | - | धनश्याम लाल |
| 11 | नंदन लाल | गजिरा | नंदन लाल |
| 12 | सावित्री देवी | - | सावित्री देवी |
| 13 | बबीता देवी | - | बबीता देवी |
| 14 | सरिता देवी | - | सरिता देवी |
| 15 | लखपत लाल | - | लखपत लाल |
| 16 | राधा देवी | - | राधा देवी |
| 17 | श्री प्रदीप प्रसाद डवराल | - | श्री प्रदीप प्रसाद डवराल |
| 18 | मीमति मंजू देवी | - | मीमति मंजू देवी |
| 19 | सत्येश्वर प्रसाद डवराल | - | सत्येश्वर प्रसाद डवराल |
| 20 | श्रीमती पुष्पा देवी | - | श्रीमती पुष्पा देवी |
| 21 | विशेश्वरी देवी | - | विशेश्वरी देवी |
| 22 | राजू लाल | - | राजू लाल |
| 23 | रामेश्वरी देवी | - | रामेश्वरी देवी |
| 24 | नारीन्द्र लाल | - | नारीन्द्र लाल |
| 25 | सतेश्वरी देवी | - | सतेश्वरी देवी |
| 26 | गजेन्द्र लाल | - | गजेन्द्र लाल |
| 27 | सरिता देवी | - | सरिता देवी |
| 28 | मदन लाल | - | मदन लाल |

| | | | |
|----|-------------------|--------|------------------|
| 29 | 20 Jeevan Lal. | मंडोरा | Jeevan Lal. (17) |
| 30 | रेखा देवी | - | रेखा देवी |
| 31 | सुकुमार लाल | - | सुकुमार लाल |
| 32 | सुरेशा देवी | - | सुरेशा देवी |
| 33 | विशेश्वरी देवी | - | विशेश्वरी देवी |
| 34 | श्रीगुड्डुबाल | - | श्रीगुड्डु बाल |
| 35 | पुष्पकार लाल | - | पुष्पकार लाल |
| 36 | संदीप लाल | - | संदीप लाल |
| 37 | विनीत लाल | - | विनीत लाल |
| 38 | महेशी देवी | - | महेशी देवी |
| 39 | मनारी लाल | - | मनारी लाल |
| 40 | पदमेन्दु लाल | - | पदमेन्दु लाल |
| 41 | गंगा देवी | - | गंगा देवी |
| 42 | | | |

श्रीमान अधिकाशी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो० नि० वि०
गोपेश्वर (चमोली)

महोदय,

गडोरा - किरुवी मोटर मार्ग 4 से मेट्ट गावें
मोटर मार्ग लम्बाई 1.5 किमी० के समरेखण से समस्त ग्राम-
वासी अनुसरत हैं।

अतः इस समरेखण से ग्रामवासीओं के किसी भी
प्रकार की आपत्ति नहीं है।

सुने देवी देवी

- 10 मदन लाल
- 11 अनामिका
- 12 विष्णु लाल
- 13 धनप्रियाम
- 14 सातेश्वरी
- 15 राममंजी देवी
- 16 रामेश्वरी
- 17 विष्णुश्वरी
- 18 गंगा देवी
- 19 प्रणवदेवी
- 20 अन्नना देवी
- 21 गुडडी देवी

अवकीय

समस्त ग्रामवासी

मेट्ट गावें

हरीश लाल

सुनील

सरिता देवी

जगदीश लाल

गुडडी देवी प्रमाणित

वीरेश्वर लाल

नरेश लाल

नरेश लाल



सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

P.C. Attached



सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० नि० वि०
गोपेश्वर


नरेश लाल


28-7-2017

प्रमाण पत्र

विषय— जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोल मोटर मार्ग के मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे. वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम से वैकल्पिक ईंधन जैसा कैरोसीन आदि की व्यवस्था की जायेगी।



 सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
 गोपेश्वर



 अधिशासी अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
 गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

विषय— जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोल मोटर मार्ग के मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे. वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
गोपेश्वर



अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

विषय— जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोल मोटर मार्ग के मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे. वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर अतिरिक्त कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
गोपेश्वर



अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

विषय— जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोल मोटर मार्ग के मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे. वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर



अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

विषय— जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोल मोटर मार्ग के मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे. वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रस्तावित भूमि को किसी अन्य एजेन्सी विभाग व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर



अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

विषय— जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोल मोटर मार्ग के मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे. वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा मलवा निस्तारण हेतु चयनित स्थलों पर मलवा उत्सर्जित किये जाने के साथ-साथ मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जिवित करने तथा वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।


 सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
 गोपेश्वर


 अधिशासी अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
 गोपेश्वर